

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायतें,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 25 जनवरी, 2018

विषय:- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पंचायतों को मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त हेतु धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पंचायतों को मूल अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त हेतु ₹5,76,75,000.00 (पाँच करोड़ छियहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-
1. अनुदान का उपयोग मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने यथा: जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसंम्पत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाइट तथा कब्रिस्तान और श्मशानों के रख-रखाव हेतु किया जायेगा।
 2. निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के नवीनतम आंकड़ों एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के आधार पर 14वें वित्त आयोग की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
 3. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय निकायों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आंकड़ों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे।
 4. अवमुक्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में निर्धारित एनेक्सर-III पर वांछित सूचना शहरी विकास विभाग द्वारा तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
 5. अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
 6. अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक: 31.03.2018 तक प्राप्त हो जाने चाहिए।
 7. अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग करने हेतु शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा। नगर विकास विभाग समस्त शहरी स्थानीय निकायों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का संकलन कर, संकलित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सचिव, शहरी विकास से हस्ताक्षर कराकर उपलब्ध करायेगा।
 8. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त हेतु निर्धारित धनराशि से कम धनराशि अवमुक्त की गई है, उक्तानुसार ही धनराशि अवमुक्त की जा

रही है, जिसकी तुलना वित्तीय वर्ष 2016-17 की द्वितीय किश्त हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि से नहीं की जायेगी।

9. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।

10. अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- आयोजनेत्तर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-193-नगर पंचायत/नोटीफाइड एरिया/ कमेटी आदि-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0103-केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

संख्या- 148 /XXVII(1)/ 2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जो.ओ. काम्पलैक्स, नई दिल्ली।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 43/6, धर्मपुर, माता मन्दिर रोड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ/ उप कोषाधिकारी-उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त हेतु धनराशि का संकमण	
1	2	3	4	
अल्मोड़ा	1	द्वाराहाट	923	
	2	भिक्यासैण	1037	
		योग	1960	
बागेश्वर	3	कपकोट	1155	
		योग	1155	
चमोली	4	नन्दप्रयाग	874	
	5	गैरसैण	1774	
	6	पोखरी	1487	
	7	थराली	1040	
	8	पीपल कोटी	1204	
		योग	6379	
	चम्पावत	9	लोहाघाट	1459
		10	बनबसा	1012
		योग	2471	
देहरादून	11	सेलाकुई होपटौउन	3332	
		योग	3332	
हरिद्वार	12	झबरेड़ा	1831	
	13	लण्डौरा	2806	
	14	भगवानपुर	2677	
	15	पीरान कलियर	2993	
		योग	10307	
पौड़ी गढ़वाल	16	जौक (स्वर्गाश्रम)	1273	
	17	सतपुली	883	
		योग	2156	
पिथौरागढ़	18	गंगोलीहाट	1486	
	19	बेरीनाग	1591	
		योग	3077	
रूद्रप्रयाग	20	अगस्तमुनी	1239	
	21	ऊखीमठ	914	
	22	तिलवाड़ा	911	

		योग	3064
टिहरी गढ़वाल	23	कीर्तिनगर	897
	24	घनसाली	1267
	25	गजा	864
	26	लम्बगॉव	866
	27	चमियाला	971
		योग	4865
नैनीताल	28	कालादूगी	1243
	29	लालकुँआ	1401
	30	भीमताल	1392
		योग	4036
ऊधमसिंह नगर	31	दिनेशपुर	1956
	32	केलाखेड़ा	1929
	33	महुआडाबरा हरिपुरा	1338
	34	शक्तिगढ़	1074
	35	सुल्तानपुर	1712
	36	नानकमत्ता	1634
	37	गुलरभोज	863
		योग	10506
उत्तरकाशी	38	पुरोला	1512
	39	चिन्यालीसौंड	1708
	40	नौगॉव	1147
		योग	4367
योग-3			57675

(रिपांच करोड़ छियहत्तर लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

8'
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।